न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

अधिहरण वाद सं0—05/2023

जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़

बनाम

देवाशीष डोहर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के पत्रांक 792/अप0शा0, दिनांक 08.04.2023 के द्वारा पाकुड़िया थाना काण्ड सं0—62/2022 दिनांक 12.08.2022 में जब्त निम्न वाहन के अधिहरण (Confiscation) हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

क्र0	वाहन सं0	वाहन मालिक
1	JH17X-9404 ट्रैक्टर	श्री देवाशीष डोहर, पिता—सन्यासी डोहर, सा0—बन्नोग्राम, थाना— पाकुड़िया, जिला—पाकुड़

अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के द्वारा थाना प्रभारी, पाकुड़िया को प्रश्नगत वाहन के चालक एवं मालिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी दिए गए पत्र दिनांक 12.08.2022 जो अभिलेखबद्ध है, के अनुसार दिनांक 11.08.2022 को समय रात्रि 22:05 बजे खनन टास्क फोर्स पाकुड़िया के द्वारा छापामारी के तहत ग्राम —तलवा अन्तर्गत तलवा चौक के पास बिना परिवहन चालान के अवैध बालू परिवहन करते हुए उक्त वाहन को पकड़ा गया। उक्त वाहन में 150 घनफुट अवैध बालू लदा पाया गया। जिसे बालू सहित जब्त करते हुए पाकुड़िया थाना परिसर में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 /54 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धार 4 एवं 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अवैध रूप से खनिजों के परिवहन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़, जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पाकुड़ से जुर्माना के संदर्भ में प्रतिवेदन की मांग की गई। उनके द्वारा जुर्माना राशि संबधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

विपक्षी श्री देवाशीष डोहर, पिता— सन्यासी डोहर, सा0— बन्नोग्राम, थाना— पाकुड़िया, जिला—पाकुड़ के द्वारा निम्नवत् अधिरोपित जुर्माना राशि जमा कर दिये जाने संबंधी चालान की प्रति न्यायालय में दाखिल किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

क्र0	वाहन सं0	खनन संबंधी जुर्माना	परिवहन संबंधी जुर्माना	राज्यकर संबंधी जुर्माना	कुल जुर्माना की राशि
1	JH17X-9404 ट्रैक्टर	15000.00	15500.00	20000.00	50500.00

विपक्षी श्री देवाशीष डोहर द्वारा दाखिल चालान का सत्यापन संबंधित कार्यालयों से कराया गया। संबंधित कार्यालयों द्वारा चालान का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार संबंधित वाहन मालिक द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा कर दिया गया है।

चूंकि वाहन ट्रैक्टर– **JH17X-9404** के मालिक श्री देवाशीष डोहर द्वारा जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है। अतः जब्त प्रश्नगत ट्रैक्टर– **JH17X-9404** (ट्राली सहित) को वाहन मालिक श्री देवाशीष डोहर के पक्ष में मुक्त **(Release)** करने का आदेश दिया जाता है। थाना प्रभारी, पाकुड़िया विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिवत सत्यापन एवं पहचान **(Verification & Identification)** कर संबंधित वाहन मालिक श्री देवाशीष डोहर के पक्ष में प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर– **JH17X-9404** (ट्राली सहित) को मुक्त **(Release)** करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाकुड़, जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ एवं संबंधित थाना प्रभारी, पाकुड़िया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22-02-24

उपायुक्त
पाकुड़।

22-02-24

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 10:53:03 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner